145

संख्याः / III (3)/15-46(प्रा0आ0)/2003 टी0सी0III

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3 देहरादून, दिनांकः02, ~~मार्च~~ अप्रैल, 2015

विषयः- **टनकपुर-झूलाघाट-जौलजीबी मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के समय शासनादेश दिनांक 17.06.1994 के द्वारा टनकपुर-झूलाघाट-जौलजीवी तक 109.00 कि0मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति के सापेक्ष 18.500 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य जौलजीवी की ओर से प्रारम्भ किया गया। राज्य गठनोपरान्त शासनादेश संख्या-7628, दिनांक 28.10.2002 के द्वारा मार्च, 2000 से पूर्व स्वीकृत कार्यों को बंद किये जाने के निर्देश जारी किये जाने तक उक्त स्वीकृति के सापेक्ष 16.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण पूर्ण तथा अवशेष 2.50 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हो पाया।

2- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1541/III(2)/ 09-22(मु0मं0घो0)/2009, दिनांक 31.03.2010 के संलग्नक में क्रम संख्या-6 के माध्यम से "टनकपुर-झूलाघाट-जौलजीवी मोटर मार्ग के अवशेष मोटर मार्ग" के नाम से 7.800 कि0मी0 (01 सेतु सहित) लम्बाई तथा रू0 351.65 लाख की लागत के मोटर मार्ग की स्वीकृति राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की गयी थी, परन्तु भारत सरकार के डी0ओ0 संख्या-11012/II/2010-B.M.-V, दिनांक 26.11.2010 के द्वारा टनकपुर से जौलजीवी तक 132.475 कि0मी0 लम्बाई में डबल लेन मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत उक्त मोटर मार्ग के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है। फलस्वरूप उक्त मार्ग संरेखण (जौलजीवी की ओर से) के कि0मी0 18 में पड़ने वाले ग्राम रणुवा को वर्तमान तक मोटर मार्ग संयोजकता प्राप्त नहीं हो पायी है।

3- अतः उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजनान्तर्गत प्रदत्त उपर्युक्त स्वीकृतियों के सापेक्ष जौलजीवी की ओर से 18.500 कि0मी0 लम्बाई में प्रारम्भ किये गये मोटर मार्ग के अवशेष कार्य को पूर्ण कराते हुए ग्राम रणुवा को मोटर मार्ग से जोड़े जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4- उपर्युक्त के अनुक्रम में शासनादेश-1541/III(2)/ 09-22(मु0मं0घो0)/2009, दिनांक 31.03.2010 के संलग्नक में क्रम संख्या-6 के माध्यम से प्रदत्त स्वीकृति को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

क्रमशः-2/-

संख्या– 435 / III (3)/15–46(प्रा0आ0)/2003 टी0सी0III, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटर्स, बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. प्रभारी मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, पिथौरागढ़।
5. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. संबंधित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

भवदीय,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।